न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—204/2020 (GCMS No. 2020/00204) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. वासुदेव पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी महुरी हाल निवासी मनियॉ तहसील मनियॉ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. केदार } पुत्रान रामनिवास
2. सोनू }
3. गीता }
4. रेणु } पुत्रियॉ रामनिवास
5. रामवती पत्नि रामनिवास
6. सौरभ पुत्र } रामनिवास नाबालिगान जरिये
7. गुन्जन पुत्री } प्राकृतिक संरक्षक माता राजवती

जाति ब्राहम्ण निवासी महुरी तहसील व जिला धौलपुर

8. श्रीमती मनीषा पत्नी ओमप्रकाश उर्फ रामू जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नं. 38 ए, 55 ए तोता नगर सेवला जाट आगरा (यू.पी.)
9. प्रेमलता पुत्री वद्री प्रसाद पत्नि रामखिलाडी जाति ब्राहम्ण निवासी बरेह मोरी, हाल निवासी कचहरी गली कोठी धौलपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय 22.12.2010 अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर अपील संख्या 58/2019 उनवानी वासुदेव बनाम केदार वगै. व सिलसिले नामांतरकरण संख्या 565 दिनांक 08.10.09 नायब तहसीलदार धौलपुर

उपस्थितिः—

1. श्री दुलीचन्द शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री विजयसिंह कुंतल, वकील रेस्पोडैन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य **दिनांक : 23.06.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 22.12.2010 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित नामांतरकरण दर्ज करने से पूर्व से ही पक्षकारों के बीच सिविल न्यायालय में एवं राजस्व न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन हैं तथा सिविल न्यायालय से श्रीमती मनीषा का दावा खारिज हो गया है जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा विवादित भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ से रेस्पो. के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी है। ऐसी स्थिति में नामांतरकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण को निरस्त न कर अपील की कार्यवाही स्थगित कर दी। जिसके विरूद्व यह अपील पेश की है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलव किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित नामांतरकरण दर्ज करने से पूर्व से ही पक्षकारों के बीच सिविल न्यायालय में एवं राजस्व न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन हैं तथा सिविल न्यायालय से श्रीमती मनीषा का दावा खारिज हो गया है जिसकी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा विवादित भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ से रेस्पो. के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी है, तो ऐसी स्थिति में नामांतरकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही शुरू से ही निरस्त किये जाने योग्य थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि नामांतरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसीडिंग होती है जिसे नियमानुसार निरस्त कर कार्यवाही स्थगित की जा सकती है परन्तु अपीलें फिस्कल कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आती हैं तथा फिस्कल कार्यवाही के नाम पर अपील की कार्यवाही स्थिगित नहीं किया जा सकता है। अपील की कार्यवाही में अपील को स्वीकार किया जाकर नामांतरकरण की, की गई कार्यवाही में नामांतरकरण को निरस्त करके नामांतरकरण की अग्रिम कार्यवाही रेगुलर दावा के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखी जाती है। इस बिन्दु के लिए माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष आर.आर.डी 1985 पेज 170 एवं आर.बी.जे. 2009 पेज 800 एवं 428 प्रस्तुत की परन्तु उक्त न्यायिक दृष्टांतों की तरफ भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया एवं नामांतरकरण को निरस्त कर नामांतरकरण की कार्यवाही को स्थिगित करने के बजाय अपील की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। जबकि नामांतरकरण को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 22.12.2010 निरस्त किया जावे एवं नामांतरकरण संख्या 565 निरस्त करते हुये नियमित वादों के अन्तिम निस्तारण तक नामांतरकरण की कार्यवाही निरस्त की जावे। अपील के समर्थन में अपीलान्ट की ओर से माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर आरआरडी 1985 पेज 170 पेश की।

3. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा जबाब बहस में कथन किया कि रेगुलर दावा निर्णित होने के आधार पर अधिकार तय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश भी न्यायिक नजीर से समर्थन कर रहा है। सिविल कोर्ट में विभाजन का दावा रेस्पो. ने किया है। जिसका निर्णय दिनांक 29.11.2006 को हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट विचाराधीन है जो रेस्पो. द्वारा की गई है। नामांतरकरण विरासत से संबंधित है। रेगुलर दावे में निर्णय के आधार पर अधिकार तय हो जायेंगे। स्थगन कार्यवाही सही है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है। अतः अपील खारिज की जावे। अपील के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की न्यायिक नजीर आरआरडी 2019 पेज 593 पेश की।

4. रिवीटल में वकील अपीलान्ट का तर्क है कि सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.11.2006 में वसीयत के आधार पर अपीलान्ट का अधिकार माना है। नामांतरकरण की कार्यवाही निरस्त करके पूर्व के इन्द्राज बहाल करने हेतु रिमाण्ड की जानी चाहिए थी। अपील स्टे कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है और न ही प्रावधान है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तथा माननीय न्यायालयों की प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार मनियां द्वारा नामांतरकरण संख्या 565 ग्राम महूरी दिनांक 08.10.2009 को निस्तारित किया गया, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के यहॉ अपील अपीलान्ट द्वारा दायर की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22.12.2010 में अपीलान्ट एवं रेस्पोडैन्टगण के बीच विचाराधीन मुकदमों के निस्तारण तक विचाराधीन अपील की कार्यवाही स्थगित रखे जाने का निर्णय पारित किया। न्यायालय हाजा में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार यह है कि पक्षकारों के मध्य राजस्व न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में मुकदमे विचाराधीन हैं। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। केवल अपील की कार्यवाही स्थगित न की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जाकर नामांतरकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में नायब तहसीलदार मनियां द्वारा नामांतरकरण संख्या 565 ग्राम महूरी दिनांक 08.10.2009 को स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश धौलपुर में दावा बावत् विभाजन दिनांक 29.11.2006 को निर्णित हुआ, जिसके विरूद्ध एक अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के यहॉ विचाराधीन चल रही है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ दावा पेश किया है जिसमें दिनांक 23.10.2009 को विवादित आराजी पर मौके व रिकार्ड की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से पूर्व ही विवादित आराजी पर नायब तहसीलदार मनियां द्वारा नामांतरकरण संख्या 565 स्वीकृत किया जा चुका है। अतः यह कहा जाना न्यायोचित नहीं है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के बाद नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.12.2010 से अपीलान्ट के निवेदन पर तथा रेस्पोडैन्टगण की सहमति के आधार पर विचाराधीन अपील की कार्यवाही स्थगित किये जाने का उल्लेख किया है। पक्षकरों के मध्य नामांतरकरण के माध्यम से किसी प्रकार के अधिकार तय नहीं होंगे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहॉ विचाराधीन प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण से ही विवादित आराजी पर पक्षकारों के मध्य अधिकार तय होंगे। नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग का भाग होती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश से पूर्व ही नायब तहसीलदार मनियां द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत हो चुका था। न्यायालय के मत में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2010 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/06/23

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर